(11)
The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.) **Note :** For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. IG/Director (Medical), CRPF —Chairman 2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) —Member 3. Chief Medical Officer/Senior Medical Officer —Member	Not applicable.

[F. No. R. IX.1/10.Med.II-CRPF/MHA (Pers. II)]

NEERAJ KANSAL, Director (Personnel)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 309.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम, 1991 में,—

(i) नियम 2 में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय परिचर	03*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) धन ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन	**प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे पदधारी : (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ख) निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण; (ii) केन्द्रीय सरकार या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान के पुस्तकालय में दो वर्ष कार्य करने का अनुभव । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के आधार पर न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिश पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय है और जहां यह फायदा केवल उस पद को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 39021/2/2011-स्था. (ख)]

राकेश मोज्जा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. सं. 81, तारीख 9 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 306, तारीख 12 अगस्त, 2000 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 8th November, 2011

G.S.R. 309.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission (Library Attendant) Recruitment Rules, 1991, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Library Attendant) Recruitment Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Library Attendant) Recruitment Rules, 1991,—

(1) in rule 2, for the words "scale of pay", the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;

(2) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Assistant	03* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) plus Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
Deputation or absorption	**Deputation or absorption :** Officials under the Central Government,— (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and

(11)

(b) possessing the educational qualifications and experience as below :

(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; and

(ii) two years' experience of working in a Library of the Central Government or of a recognised Institution.

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or departments of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 39021/2/2011-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 81, dated the 9th February, 1991 and subsequently amended *vide* G.S.R. 306, dated the 12th August, 2000.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 310.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (स्वागत अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 में,—

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

(ii) नियम 3 में, "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(iii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—